(समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

क्रमांकः— ~~राजस्व~~ उद्यान / 2025—26 / दिनांकः— 10-09-2025

ई—निविदा आमन्त्रण सूचना संख्या—ई—...04..... / 2025—26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम उदयपुर द्वारा **"पंडित दीन दयाल पार्क, दूधतलाई में कैफेटेरिया, म्यूजिकल फाउंटेन एवं उद्यान के रखरखाव, संचालन व संधारण के कार्य,** " हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिये ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन निविदा प्रारम्भ तिथि 11-09-25..... एवं अंतिम तिथि 23-09-25........ तथा निविदा खुलने की तिथी 24-09-25 रहेगी। निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट https://www.udaipurmc.org, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।

UBN No.-

प्रतिलिपि :—

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन :—
   1. एक मुख्य क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में,
   2. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में,

   नियम अनुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावें तथा revenuesec2015@gmail.com पर समाचार पत्रों के इन्टीमेशन ई—मेल करने का भी श्रम करावें।
2. प्रभारी विद्युत शाखा को भेज कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर निगम पर चस्पा किया जाए।

अभिषेक खन्ना (IAS)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

एक कदम स्वच्छता की ओर

दूरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.udaipurmc.org

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम उदयपुर द्वारा निम्नलिखित स्थल पर निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं	स्थल एवं कार्य	प्रारम्भिक बोली राशि(रू.)	निविदा प्रपत्र शुल्क नोन रिफण्डेबल	बोली प्रतिभूति राशि (5 प्रतिशत)	प्रोंसेसिंग फीस एमडीआरआईए सएल जयपुर के पक्ष में	निविदा अवधि
1	पंडित दीन दयाल पार्क, (दूधतलाई) में कैफेटेरिया,म्यूजिकल फाउंटेन एवं उद्यान के रखरखाव, संचालन, संधारण का कार्य	6,00,000/– प्रति वर्ष	1000+180 (GST) = 1180/–	30,000/–	500/–	2 वर्ष

निविदा की शर्तें तकनिकी बीड हेतु :–

1. निविदा की प्रक्रिया पूर्णतयाः ऑन–लाईन होगी किसी भी प्रकार के दस्तावेज/भुगतान ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. केवल निम्नांकित दस्तावेज/भुगतान करने वाले बिडर्स की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। ये दस्तावेज/भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाईन जमा किये जाने है जो कि निम्नानुसार है :–
   1. आधार कार्ड (एकल फर्म होने पर स्वयं का भागीदार होने पर समस्त भागीदारों का तथा कम्पनी या रजिस्टर्ड संस्था होने पर जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
   2. 100/– के स्टाम्प पर निविदादाता को किसी भी सरकारी/स्वायत्तशासी संस्था से ब्लेक लिस्ट नहीं होने एवं पुलिस थाने से चरित्र प्रमाण पत्र शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न प्रारुप में अपलोड करना।
   3. निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने की सहमति स्वरुप निविदा का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर कर अपलोड करना।
   4. आवेदन शुल्क की राशि 1000 + 18 प्रतिशत जीएसटी कुल 1180/– रूपये नगर निगम के खाते में ऑन लाईन जमा कराना।
   5. उक्त कार्य हेतु प्रोसेसिंग फीस MDRISL जयपुर 500/– रूपये नगर निगम के खाते में ऑन लाईन जमा कराना।
   6. EMD, Tender Fees & Processing Fees निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम के खाते में NEFT/ RTGS कराया जा सकते है। NEFT/ RTGS निविदा में भाग लेने वाली फर्म के खाते से ही किये जायेगें, जिसकी रसीद निविदा के साथ संलग्न करानी होगी। संवेदक को सूचित किया जाता है कि उसके द्वारा किसी UPI जैसे :– Google pay, PayTM, Phone Pay इत्यादि से राशि जमा कराने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. EMD, Tender Fees & Processing Fees जमा कराने हेतु खाते का विवरण निम्नलिखित हैः–

Name OF A/c Holder	Commissioner Nagar Nigam, Udaipur
A/c No.	693301700675
IFSC Code	ICIC0006933
Bank Name	ICICI Bank, Bapu Bazar, Bank Tiraha, Udaipur

8. पेन कार्ड की प्रति
9. जीएसटी रजिस्ट्रेशन
10. Annexure 'A', Annexure 'B', Annexure 'C' एवं Annexure 'D' हस्ताक्षरित कर सलंग्न करने अनिवार्य होगें।

कार्य की शर्तें निविदा के साथ संलग्न हैं निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लेंवे। उक्तानुसार बिन्दू सं.– 2 के अंतर्गत अंकित समस्त 10 बिन्दूओं की पूर्ति ऑनलाईन करने पर ही बिडर को प्रत्युत्तरदायी घोषित कर वित्तीय बिड खोली जाएगी।

ई–टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :

1. उक्त निविदा में भाग लेने वाले बिडर निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है।
2. निविदा में भाग लेने वाले बिडर्स को इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट–2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आएगा।
3. बिडर्स उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन बिडर्स के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
4. बिडर्स को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाईट व डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
5. ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार खोली जाएगी।
6. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व बिडर यह सुनिश्चित कर लेंवे की निविदा प्रपत्र में संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।
7. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिक रुप में जमा कराने में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
8. निविदा के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों/प्रपत्र को संपूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।
10. इस निविदा के अन्तर्गत यदि कोई आवश्यक संशोधन हुआ तो उसे वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी बिडर की होगी।

"पंडित दीन दयाल पार्क, दूधतलाई में कैफेटेरिया,म्यूजिकल फाउंटेन एवं उद्यान के रखरखाव, संचालन व संधारण के कार्य की शर्ते

सामान्य शर्ते

1. बिड खोले जाने के पश्चात् अधिकतम दर देने वाले बिडर को दर अनुमोदन हेतु पत्र जारी किया जायेगा। इस दर अनुमोदन पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर संपूर्ण स्वीकृत ठेका राशि (एक मुश्त) जमा करानी होगी, अनुवंध निष्पादन हेतु नियमानुसार स्टाम्प प्रस्तुत करने होगे तथा प्रथम वर्ष व द्वितिय वर्ष की कुल राशि का 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पेटे जमा करानी होगी। जिसके पश्चात् कार्यादेश जारी किया जावेगा। कार्यादेश में वर्णित तिथि से कार्यारम्भ किया जायेगा।म्यूजिकल फाउन्टेन हेतु सिक्यूरिटी डिपोजिट राशि 1.00 लाख रूपये रहेगी।

2. नगर निगम/राज्य सरकार के किसी भी जनहित के कार्यक्रम होने पर कैफेटेरिया एवं उद्यान को रिक्त रखना होगा जिसका सफल बिडर को कोई मुआवजा देय नही होगा।
3. सफल बिडर को नगर निगम, जिला प्रशासन, यातायात विभाग के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
4. केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्धारित/आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर आदि लागू होने की अवस्था में सफल बिडर द्वारा वहन किया जायेगा।
5. अधिक जानकारी वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in, https://www.udaipurmc.org पर या कार्य दिवस के दौरान उधान शाखा (कमरा नं.-33) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।
6. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :-(Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वालो से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति वितपिमज नहीं की जा सकती। (नियम 48)
7. <u>विलम्ब से प्राप्त बोलियां</u> :- बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
8. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार</u> :- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
9. करार का निष्पादन :-
   (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
   (2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से 15 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
   (3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
   (4) सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।
   (5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल बिडर द्वारा वहन किया जाएगा।
10. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971

11. Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

a. Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless

the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the highest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

12. जुर्माना :–

(क) वितीय बोलियो के सुनने के पश्चात् उपापन प्रकिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनो में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारो के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजो या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रकिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) XI लागू होगें।

14. सफल बिडर के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नही है एवं सफल बिडर द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नही है।

15. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षैत्र उदयपुर होगा।

16. निम्नांकित परिस्थितियाँ यदि दस दिवस या अधिक की अवधि के लिए घटित हो जाती है तो दस दिवस से अधिक दिनों की समयावधि में आनुपातिक वृद्धि की जाएगी। दस दिवस से कम होने पर कोई वृद्धि नही की जाएगी।

(1) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उदयपुर शहर को बन्द रखे जाने पर।

(2) कानून व्यवस्था हेतु प्रशासन द्वारा सम्बंधित थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू होने पर।

संवेदक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य

1. निविदा अवधि के दौरान उक्त परिसर आदि की सफाई व्यवस्था संवेदक को स्वयं के स्तर पर आवश्यक रूप से करनी होगी एवं पंडित दीन दयाल पार्क में या उसके आस–पास अपशिष्ट पदार्थ, गन्दगी नहीं हो यह सुनिश्चित करना होगा।
2. केफेटेरिया एवं उद्यान संचालन में मादक पदार्थ, व्यसन, मांस का सेवन एवं असामाजिक कार्य करते हुए पाए जाने, निर्धारित प्रवेश शुल्क से अधिक शुल्क लेते हुये पाये जाने एवं अवांछनीय/अभद्र असामाजिक व्यवहार की शिकायत पाए जाने पर सफल बिडर के विरूद्ध प्रति अवहेलना पर 20,000/– रूपये की शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगी एवं समस्त जमा राशि जब्त कर ठेका निरस्त भी किया जा सकता है। सफल बिडर को खाद्य पदार्थो के सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी जिसका संपूर्ण दायित्व सफल बिडर का होगा।
3. एक वर्ष मे 3 से अधिक शास्तियां आरोपित हो जाने अथवा संवेदक द्वारा निविदा की शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर सफल बिडर को 24 घण्टे का नोटिस दिया जाकर उसकी समस्त जमा राशि जब्त करते हुए कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी जिसका अन्तिम निर्णय प्रशासक/आयुक्त नगर निगम, उदयपुर द्वारा किया जायेगा जो सफल बिडर को स्वीकार करना होगा।
4. सफल बिडर द्वारा उक्त स्थल पर नियुक्त कर्मचारी को संवेदक द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड एवं आईडी कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा आमजन के साथ शालीन व भद्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। अभद्र व्यवहार, निर्धारित ड्रेसकोड की पालना नहीं होने/सफल बिडर द्वारा जारी आईडी कार्ड नहीं होने की शिकायत पाये जाने पर 1000/– रुपये की शास्ति प्रति शिकायत सफल बिडर को निगम में जमा करानी होगी।
5. केफेटेरिया एवं उद्यान संचालन एवं रखरखाव हेतु संवेदक द्वारा प्रतिदिन सफाई कि व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी। यदि सफाई व्यवस्था असंतोषप्रद पाई जाती है तो प्रति निरीक्षण 5000/– रूपये शास्ति आरोपित की जावेगी।
6. उक्त स्थल संबंधी समस्त विद्युत खर्च का भुगतान सफल बिडर द्वारा किया जायेगा। सफल बिडर द्वारा विद्युत खर्च संबंधी बिल नियमित रूप से भरे जायेंगे विद्युत बिल समय पर जमा नही करवाने पर पेनेल्टी आदि की समस्त जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। निविदा समयावधि समाप्ति पश्चात् निगम की विद्युत शाखा से समस्त विद्युत बिल के भुगतान एवं विद्युत उपकरणों की अनापत्ति प्रदान करने पश्चात् ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटाई जायेगी।
7. सुरक्षा की दृष्टि से केफेटेरिया व रसोई में आधुनिक अग्निशमन उपकरण/यंत्र संवेदक को स्वयं के खर्चे पर लगाने होगे एवं केफेटेरिया पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य व तोड़–फोड़ निगम कि स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी। कैफेटेरिया के खाद्य पदार्थ उद्यान में परोसना वर्जित होगा।

8. केफेटेरिया एवं उद्यान में अन्य व्यवसायिक गतिविधियां निषेध रहेंगी तथा उद्यान के अन्दर व बाहर चारदीवारी एवं टिकट पर किसी प्रकार का विज्ञापन पूर्णतः निषेध रहेगा।

9. निगम के अधिकारी/कर्मचारी पार्क में निरीक्षण एवं रख–रखाव के लिए निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे।

10. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथी एवं पुण्यतिथी तथा विशेष समारोह या राजस्थान सरकार/भारत सरकार के राजकीय अतिथियों आदि का प्रवेश निगम द्वारा सूचित किये जाने पर निःशुल्क होगा।

11. प्रवेश हेतु टिकटों के विक्रय, गेट पर टिकटो की चैकिंग, सम्पूर्ण उद्यान की सुरक्षा, साज सामान की सुरक्षा एवं सम्पूर्ण उद्यान की सफाई का कार्य करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी एवं नगर निगम, उदयपुर कर्मचारी/अधिकारी/पार्षदगण का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

12. सफल बिडर को उद्यान के प्रवेश द्वार पर एक सूचना बोर्ड लगाना होगा जिस पर अनुबंधित पार्टी का नाम, पता, प्रवेश शुल्क, प्रवेश का समय इत्यादि आवश्यक जानकारी लिखनी होगी।

13. म्यूजिकल फाउंटेन में लगे सभी पाईप, वाल्व, नोजल आदि की सफाई तालाब सहित फव्वारे के सभी घटकों को महीने में कम से कम एक बार साफ करने का दायित्व सफल बिडर का होगा।

14. म्यूजिकल फाउंटेन में निर्धारित सभी वस्तुएँ जैसे मोटर पम्प, नोजल पम्प, नोजन पाईप, आदि किसी भी क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत, रिवाईडिंग या प्रतिस्थापना करने का दायित्व सफल बिडर का होगा।

15. सफल बिडर द्वारा म्यूजिकल फाउंटेन संचालन और रखरखाव के लिये समर्पित कुशल जनशक्ति अथवा श्रमिक को रखा जायेगा एवं म्यूजिकल फाउंटेन का संचालन नियमित रूप से करने का दायित्व सफल बिडर का होगा।

16. म्यूजिकल फाउंटेन को नियमित रूप से प्रतिदिन 7:00 PM से 9:30 PM के बीच कम से कम चार बार 15–15 मिनट हेतु चलाने का दायित्व सफल बिडर का होगा, यदि नियमित रूप से निर्धारित समयानुसार म्यूजिकल फाउंटेन को नहीं चलाया जाता है तो सफल बिडर के विरूद्व प्रथम बार 5,000/– रूपये, द्वितीय बार 10,000/– रूपये पेनल्टी लगाई जावेगी एवं बार–बार पुनरावृति पाये जाने पर समस्त जमा राशि जब्त कर ठेका निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

17. अनुबन्ध अवधि समाप्ति की तिथी को सफल बिडर इन सम्पतियों को उसी स्थिति में संबंधित अधिकारी को संभलवायेंगा जेसी स्थिति में परिसम्पतियां अनुबन्ध प्रारम्भ में प्राप्त की थी यदि कोई टूट–फूट, चोरी आदि होती है तो सफल बिडर वह वांछित मरम्मत/पौधारोपण/अन्य मेन्टेनेन्स पुर्नस्थापित कर निगम के राजस्व अधिकारी को सुपुर्द करने की जिम्मेदारी सफल बिडर की रहेगी।

18. उद्यान परिसर में स्थित भवनों का रख–रखाव, सफाई व्यवस्था, शौचालय, स्नानघर सफाई आदि की व्यवस्था, विद्युत सम्बन्धित उपकरणों, लाईटे, पंखे, ट्यूबलाईट, पानी की मोटर, फाउन्टेन, चौकीदारी की व्यवस्था, बागवानों की व्यवस्था, उद्यान, शौचालयों एवं परिसर हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था, एवं बिजली के बिलों के भुगतान आदि सफल बिडर को अपने स्तर पर करनी होगी इन के लिये निगम द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा। बिजली का बिल सफल बिडर द्वारा निर्धारित समय पर जमा कराकर निगम को प्रति उपलब्ध करानी होगी। निविदा अवधि पूर्ण होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा कोई बाकयात नहीं होने के पश्चात् ही कार्य संपादन प्रतिभूति राशि लोटाई जावेगी। घास व हैज की नियमित कटिंग करनी होगी पेडो की निराई गुडाई करनी होगी व पानी पिलाना होगा एवं नये पौधे लगाने होगे एवं वर्षा ऋतु के दौरान वृक्षारोपण व पौधा रोपण कार्य करना होगा। पेड़, पौधे, बीज, गमले निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। किन्तु उन्हे रोपण करने का कार्य बिडर को करना होगा। इसके लिए समयावधि निर्धारित की जाएगी जिसकी पालना करनी होगी।हेज या घास का रखरखाव नही किये जाने पर 4000/– प्रति अवसर शास्ति आरोपित कि जावेगी। उधान मे कचरा पासे जाने पर या कचरे के निस्तारण नही किसे जाने पर 5000/– प्रति अवसर शास्ति आरोपीत की जावेगी। पेड–पौधों के पत्ते जिनकी खाद बनाई जा सकती है उनकी खाद परिसर में ही उचित, उपयुक्त व निर्देशित स्थानों पर बनानी होगी जो नगर निगम की सम्पति होगी। बिडर इसे अपने स्तर पर विक्रय नहीं कर सकेगा।

    1. सफाई के उपरान्त पत्तों के ढेर का निष्पादन उसी दिन करना होगा।
    2. सफाई कार्य के लिए नियोजित श्रमिक यूनिफार्म में कार्य करेगें।
    3. उधानो में झूलती हुई टहनियों, सूखे गिरे हुए पेड़ों की कटाई का कार्य बिडर का होगा। वृक्षों के रोड पर गिर जाने, गिरने की अवस्था होने पर एवं पत्ते व झुलती हुई टहनियों आदि रोड पर गिर जाने की स्थिति में गिरे हुए वृक्षों, पत्तों व शाखाओं को तुरंत हटाने की व्यवस्था बिडर को करनी होगी। इसके लिये संवेदक को आवश्यक मशीनरी एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी अन्यथा पेनाल्टी प्रस्तावित की जायेगी। निर्देशानुसार वृक्षों की नियमित कटाई–छटाई करवाने का कार्य बिडर का होगा।

19. मौके पर होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद एवं दुर्घटना आदि की जिम्मेदारी सफल बिडर की होगी।

20. उपरोक्त किसी भी शर्त की अनुपालना नही होने पर निगम द्वारा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दिया उद्यानो में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना/दुर्घटना, चोरी आदि कानून भंग की घटनाओं से तत्काल प्रभारी अधिकारी उद्यान व संबंधित पुलिस थाने को सूचित करने का दायित्व बिडर का रहेगा। F.I.R. निगम के सहयोग से दर्ज कराई जाएगी।

21. उद्यान में सूखे पत्तों के कारण कई बार आग लगने की घटनाएँ हो जाती है। अतः बिडर का दायित्व होगा कि उसके कार्मिक नियंत्रण योग्य आग को स्वयं के संसाधनों से ही बुजा दे तथा आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड नगर निगम को

23. उद्यान में सूखे पत्तों के कारण कई बार आग लगने की घटनाएँ हो जाती है। अतः बिडर का दायित्व होगा कि उसके कार्मिक नियंत्रण योग्य आग को स्वयं के संसाधनों से ही बुजा दे तथा आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड नगर निगम को सूचित करें। आग की छोटी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए संसाधन संवेदक को सदैव तैयार रखने होंगे। आग बुजाने हेतु प्राथमिक संसाधन यथा Fire Extinguishers, पानी व रेत से भरी बाल्टीयाँ स्वयं के व्यय पर सदैव आग की छोटी घटनाओं के लिए तैयार रखनी होगी। आग की बड़ी घटनाओं के लिए तत्काल फायर ब्रिगेट नगर निगम को सूचित करने का दायित्त्व संवेदक का होगा।

24. उधानो मे सुरक्षा हेतु रात्रीकालिन सुरक्षा गार्ड लगाना होगा। सुरक्षा गार्ड नही लगाने पर 2000/– प्रति अवसर शास्ति आरोपित कि जावेगी।

25. उधान को टैकऑवर लेने से पूर्व पार्को की फोटोग्राफि व विडियोग्राफि संवेदक को करनी होगी एवं उधान जिस स्थिति मे है उसी स्थिति मे टेकऑवर करना होगा। निविदा पूर्ण होने के पश्चात हेण्डऑवर से पूर्व उधान की फोटोग्राफि व विडियोग्राफी संवेदक को करवानी होगी।कार्य पूर्ण होने पर उधान से हेज, पौध,घास आदि के क्षतिग्रस्त/ नष्ट होने की सथिति मे पौधे व हेज संवेदक को स्वंय के स्तर पर लगा कर हेण्डऑवर करना होगा अन्यथा संवेदक के बिल से कटोति की जावेगी।

संवेदक के लिए आय के स्त्रोत

1. पंडित दीन दयाल पार्क, दूधतलाई उद्यान में प्रवेश शुल्क की राशि 5/– रू. प्रति विद्यार्थी, 5/– रू. प्रति बच्चे (उम्र 10 वर्ष से कम), भारतीय नागरिक 10/– रू.एवं विदेशी नागरिक 20/–रूपये होगी जो टिकट पर अंकित होगी। प्रवेश शुल्क के बदले टिकट दिया जाएगा जिसका प्रारूप निगम द्वारा तय किया जावेगा, म्यूजिकल फाउन्टेन हेतु प्रवेश शुल्क की राशि 25 रू. प्रति विद्यार्थी, भारतीय नागरिक 50 रू.,विदेशी नागरीक 100/– रू. होगी एवं उम्र 5 वर्ष से कम के बच्चे निशुल्क रहेगें टिकिट मे अंकित दर समस्त कर सहित होगी ,जो टिकट पर अंकित होगी एवं निर्धारित प्रारूप अनुसार ही स्वयं के स्तर पर टिकट/रसीद बुक छपवा कर अथवा पोस मशीन से प्रवेश शुल्क की वसूली की जा सकेगी। पार्क मे प्रातः 5.00 बजे से 8.00 बजे तक आने वाले व्यक्तियो का प्रवेश निशुल्क रहेगा। पार्क भ्रमणकारियो से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूली से संबधित शिकायत का सत्यापन होने पर प्रथम बार 10,000/–एवं द्वितीय बार शिकायत प्राप्त होने पर निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। टिकिट कि दरे मय जीएसटी है।
2. केफेटेरिया में बिक्री से होने वाली आय संवेदक की होगी।

Annexure 'A'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods,

Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of Bidder with
Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner
Municipal corporation Udaipur

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director, local Self Govt. Jaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretry, Local Self Govt. Jaipur (Raj.)

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only vby a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder with Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)
   (i)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....

   ....

   ....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:...

   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure 'D'

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the followingbasis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with
Stamp

Commissioner,
Municipal corporation Udaipur